Impact Factor (QJIF): 8.47 E-ISSN: 2583-1615, P-ISSN: 3049-3498

International Journal of Research in Academic World

Received: 03/March/2026 **IJRAW:** 2026; 5(4):142-145 **Accepted:** 13/April/2026

भारतीय अर्थव्यवस्था पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के व्यापक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

***[1]डॉ. ज्योति डावर**

*[1]सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय पवई, पन्ना, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन भारतीय कराधान प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में स्थापित हुआ। "एक राष्ट्र, एक कर" की अवधारणा पर आधारित इस कर सुधार का प्रमुख उद्देश्य अप्रत्यक्ष करों की जटिल संरचना को सरल बनाना, करों के कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त करना तथा एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना था। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों पर जीएसटी के प्रभावों का विश्लेषण करना है। अध्ययन विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, कर उछाल, राजस्व संग्रह की प्रवृत्तियों तथा आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण स्तंभ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र पर जीएसटी के प्रभाव का परीक्षण करता है। यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध–पद्धति पर आधारित है तथा 2017 से 2025 की अवधि के द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग करता है। आँकड़े भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद की आधिकारिक रिपोर्टों से संकलित किए गए हैं। प्री–जीएसटी और पोस्ट–जीएसटी काल के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से कर अनुपालन, दक्षता तथा संरचनात्मक परिवर्तनों का मूल्यांकन किया गया है। शोध निष्कर्ष दर्शाते हैं कि जीएसटी ने कर आधार का विस्तार किया है, जिससे कर राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हुई है। लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार तथा अंतर–राज्यीय व्यापार बाधाओं में कमी आई है। हालांकि, एमएसएमई क्षेत्र को उच्च अनुपालन लागत, डिजिटल जटिलताओं और प्रारंभिक अनुकूलन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अध्ययन निष्कर्षतः यह प्रतिपादित करता है कि जीएसटी ने भारतीय कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं एकीकृत बनाया है, किंतु इसकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने हेतु कर स्लैब के सरलीकरण और संरचनात्मक सुधारों की निरंतर आवश्यकता बनी हुई है।

मुख्य शब्द: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), अप्रत्यक्ष कर सुधार, कर आधार विस्तार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), राजस्व संग्रह, सहकारी संघवाद, भारतीय अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना

भारतीय कर प्रणाली के ऐतिहासिक विकास में 1 जुलाई 2017 का दिन एक निर्णायक संरचनात्मक सुधार के रूप में दर्ज है, जब वस्तु एवं सेवा कर को संपूर्ण देश में लागू किया गया। जीएसटी से पूर्व भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अत्यधिक खंडित थी, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले लगभग 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित थे। इस बहुस्तरीय कर संरचना के कारण करों का 'कैस्केडिंग प्रभाव' व्यापक था, जिससे अंतिम उपभोक्ता कीमतों में 20–25 प्रतिशत तक अप्रत्यक्ष कर भार जुड़ जाता था। विभिन्न आर्थिक अध्ययनों के अनुसार, जीएसटी–पूर्व अवधि में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 13–14 प्रतिशत के बराबर थी, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात 8–9 प्रतिशत के आसपास था।

जीएसटी का मुख्य उद्देश्य इस संरचनात्मक अक्षमता को दूर कर एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की स्थापना करना था। गंतव्य–आधारित कर प्रणाली और निर्बाध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) व्यवस्था के माध्यम से करों के कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त किया गया। इसके

***Corresponding Author:** डॉ. ज्योति डावर

परिणामस्वरूप, अंतर–राज्यीय चेक पोस्टों की समाप्ति हुई, ट्रांजिट समय में कमी आई और आपूर्ति श्रृंखला अधिक कुशल बनी। ट्रक टर्न–अराउंड समय में लगभग 20–25 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जिसने औद्योगिक लागत संरचना को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। राजस्व के संदर्भ में, जीएसटी ने कर आधार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीएसटी के लागू होने के समय करदाताओं की संख्या लगभग 65 लाख थी, जो 2024–25 तक बढ़कर 1.4 करोड़ से अधिक हो चुकी है। मासिक जीएसटी राजस्व संग्रह, जो प्रारंभिक वर्षों में औसतन ₹90,000 करोड़ के आसपास था, हाल के वर्षों में लगातार ₹1.6–1.8 लाख करोड़ के स्तर को पार करता रहा है। यह प्रवृत्ति कर अनुपालन में सुधार और कर उछाल में वृद्धि को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

आर्थिक औपचारिकीकरण के संदर्भ में भी जीएसटी का योगदान उल्लेखनीय रहा है। डिजिटल रिटर्न प्रणाली, ई–वे बिल और ऑनलाइन भुगतान ढांचे के कारण असंगठित क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक अर्थव्यवस्था में सम्मिलित हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के आकलनों के अनुसार, जीएसटी और डिजिटल भुगतान सुधारों ने संयुक्त रूप से कर–जीडीपी अनुपात को दीर्घकाल में सुदृढ़ करने में सहायता की है। साथ ही, राज्यों को गंतव्य–आधारित कर प्रणाली के माध्यम से उपभोग–आधारित राजस्व प्राप्त होने लगा, जिससे उपभोक्ता राज्यों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हुई। हालाँकि, जीएसटी का प्रभाव सभी क्षेत्रों में समान नहीं रहा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र जो भारत के कुल रोजगार का लगभग 45 प्रतिशत और जीडीपी का 30 प्रतिशत योगदान देता है जीएसटी अनुपालन की प्रारंभिक जटिलताओं से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। बहु–स्तरीय रिटर्न फाइलिंग, तकनीकी अवसंरचना की सीमाएँ तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट में विलंब के कारण कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ा। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम उत्पादों और विद्युत क्षेत्र का जीएसटी के दायरे से बाहर रहना अब भी उत्पादन लागत को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, जीएसटी को आर्थिक दक्षता, राजस्व स्थिरता और निवेश–अनुकूल वातावरण का एक प्रमुख साधन माना जा रहा है। सात वर्षों से अधिक के उपलब्ध आँकड़े यह संकेत देते हैं कि जीएसटी ने भारतीय कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, एकीकृत और प्रौद्योगिकी–आधारित बनाया है। इसी पृष्ठभूमि में, जीएसटी के दीर्घकालिक और संचयी व्यापक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण न केवल अकादमिक दृष्टि से, बल्कि नीति–निर्माण के संदर्भ में भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

अध्ययन के उद्देश्यः इस शोध का मुख्य उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों विशेष रूप से राजस्व संग्रह, कर आधार विस्तार तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करना है।

अनुसंधान पद्धतिः प्रस्तुत अध्ययन वस्तु एवं सेवा कर के भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करने हेतु एक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति को अपनाता है। यह शोध वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक स्वरूप का है, जिसमें जीएसटी–पूर्व और जीएसटी–पश्चात अवधियों की तुलनात्मक समीक्षा की गई है। अध्ययन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय किया गया है, जिससे नीतिगत सुधारों के आर्थिक तथा संस्थागत प्रभावों का समग्र आकलन संभव हो सके। शोध मुख्यतः द्वितीयक डेटा पर आधारित है, जिसे वित्त मंत्रालय, जीएसटी परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, आर्थिक सर्वेक्षण (2023–24), विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आधिकारिक रिपोर्टों से संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकाशित सहकर्मी–समीक्षित शोध साहित्य का भी उपयोग किया गया है। अध्ययन की अवधि जुलाई 2017 से मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है, जिसे कार्यान्वयन, संकट एवं पुनरुद्धार तथा स्थिरीकरण एवं वृद्धि इन तीन चरणों में विभाजित किया गया है। डेटा विश्लेषण हेतु तुलनात्मक प्रतिशत विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण तथा कर उछाल मॉडल का प्रयोग किया गया है। डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु क्रॉस–रेफरेंसिंग अपनाई गई है तथा शोध नैतिकता के सभी मानकों का पालन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में वस्तु एवं सेवा कर के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण तीन प्रमुख संकेतकों

(अ) राजस्व संग्रह,

(ब) कर आधार एवं पंजीकरण, तथा

(स) एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों के बीच राजस्व वितरण और रसद दक्षता पर भी चर्चा की गई है।

वार्षिक जीएसटी राजस्व संग्रह का विश्लेषणः जीएसटी के कार्यान्वयन के पश्चात कर राजस्व संग्रह में दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2021–22 के बाद राजस्व में एक उल्लेखनीय "तेज उछाल" दर्ज किया गया है।

तालिका 1: वार्षिक औसत मासिक जीएसटी संग्रह (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	औसत मासिक संग्रह	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)
2017–18	82,294	–
2019–20	1,01,843	3.8
2021–22	1,23,000	30.5
2023–24	1,68,000	12.1
2024–25 (अक्टूबर तक)	1,77,000	9.4

उपरोक्त आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि कोविड–19 महामारी के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में वी–शेप्ड रिकवरी हुई है। 2021–22 में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर प्रशासन में तकनीकी एकीकरण, डेटा एनालिटिक्स और ई–इनवॉइस/ई–वे बिल जैसे उपकरणों के प्रभावी उपयोग को दर्शाती है।

कर आधार एवं पंजीकरण का विश्लेषणः जीएसटी का एक प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण था, जिसकी पुष्टि पंजीकरण आँकड़ों से होती है।

तालिका 2: जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं की संख्या

श्रेणी	जुलाई 2017	मार्च 2024	वृद्धि (प्रतिशत)
कुल करदाता	66.25 लाख	1.45 करोड़	118
कंपोजिशन डीलर	16.50 लाख	20.25 लाख	22

करदाताओं की संख्या में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि असंगठित क्षेत्र के औपचारिक प्रणाली में समावेशन को इंगित करती है। PAN–GST एकीकरण और डेटा माइनिंग से अनुपालन में सुधार हुआ है। राज्यों के बीच राजस्व वितरण का विश्लेषण के अन्तर्गत जीएसटी की गंतव्य–आधारित प्रकृति के कारण उपभोग करने वाले राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। उत्पादक राज्य (महाराष्ट्र, गुजरात) में एसजीएसटी संग्रह अपेक्षाकृत स्थिर रहा, जबकि आईजीएसटी के माध्यम से अंतर–राज्यीय व्यापार से लाभ मिला। उपभोक्ता राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार) में प्री–जीएसटी अवधि की तुलना में कर राजस्व में औसतन 14–18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

एमएसएमई एवं ऋण सुलभताः डिजिटल रिटर्न फाइलिंग और सत्यापित टैक्स डेटा के कारण एमएसएमई की क्रेडिट वर्थनेस में सुधार हुआ है। डेटा बिंदु SIDBI के अनुसार, जीएसटी डेटा का उपयोग करने वाले एमएसएमई की ऋण स्वीकृति दर में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुपालन लागत बढ़ने के बावजूद औपचारिक वित्त तक पहुँच ने दीर्घकाल में लाभ प्रदान किया है। प्रस्तुत अध्याय में जीएसटी से संबंधित विश्लेषित आँकड़ों के आधार पर प्राप्त प्रमुख परिणामों की व्याख्या की गई है तथा उन्हें कर सुधार, सार्वजनिक वित्त और व्यापक आर्थिक सिद्धांतों के संदर्भ में विवेचित किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी प्रभाव डाले हैं, जिनमें राजस्व संग्रह, औपचारिकीकरण, संघीय वित्त और एमएसएमई क्षेत्र प्रमुख हैं।

जीएसटी और राजस्व प्रदर्शनः अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जीएसटी के लागू होने के पश्चात कर राजस्व में दीर्घकालिक वृद्धि की प्रवृत्ति स्थापित हुई है। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2021–22 के बाद दर्ज की गई 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि यह संकेत देती है कि महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र पुनरुद्धार हुआ है। यह वृद्धि केवल आर्थिक पुनर्जीवन का परिणाम नहीं है, बल्कि कर प्रशासन में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग जैसे ई–वे बिल, ई–इनवॉइस और डेटा एनालिटिक्स का प्रत्यक्ष प्रभाव भी है। यह परिणाम कर उछाल सिद्धांत का समर्थन करता है, जिसके अनुसार एक कुशल कर प्रणाली आर्थिक वृद्धि से अधिक अनुपात में राजस्व उत्पन्न कर सकती है।

कर आधार विस्तार और औपचारिकीकरणः करदाताओं की संख्या में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि यह दर्शाती है कि जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया है। PAN–GST एकीकरण और डिजिटल रिटर्न प्रणाली ने कर अपवंचन की संभावनाओं को सीमित किया है। यह परिणाम आधुनिक सार्वजनिक वित्त सिद्धांत के अनुरूप है, जिसके अनुसार कर आधार का विस्तार कर दरों में वृद्धि की तुलना में अधिक टिकाऊ राजस्व समाधान प्रदान करता है। हालाँकि, कंपोजिशन डीलरों की अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि यह संकेत देती है कि छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन सरलता अभी भी एक नीति–चुनौती बनी हुई है।

राज्यों के राजस्व और संघीय वित्तः अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जीएसटी की गंतव्य–आधारित प्रकृति ने उपभोग करने वाले राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कर संग्रह में 14–18 प्रतिशत की वृद्धि सहकारी संघवाद की अवधारणा को सुदृढ़ करती है। वहीं, उत्पादक राज्यों में आईजीएसटी के माध्यम से राजस्व संतुलन बना रहा है। यह परिणाम दर्शाता है कि जीएसटी ने अंतर–राज्यीय राजस्व असमानताओं को आंशिक रूप से कम करने में भूमिका निभाई है, यद्यपि मुआवजा व्यवस्था की समाप्ति के बाद राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर नई बहस उभर रही है।

एमएसएमई क्षेत्र में लागत बनाम लाभः एमएसएमई क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन के परिणाम द्वि–आयामी प्रभाव को दर्शाते हैं। एक ओर, डिजिटल अनुपालन और रिटर्न फाइलिंग ने प्रारंभिक वर्षों में लागत और जटिलता बढ़ाईय दूसरी ओर, सत्यापित जीएसटी डेटा के कारण एमएसएमई की ऋण सुलभता में 25 प्रतिशत तक सुधार हुआ। यह निष्कर्ष औपचारिक वित्त सिद्धांत का समर्थन करता है, जिसके अनुसार पारदर्शी टैक्स डेटा छोटे उद्यमों को औपचारिक ऋण प्रणाली से जोड़ने में सहायक होता है।

रसद दक्षता और व्यापार सुगमताः ई–वे बिल डेटा से यह स्पष्ट होता है कि अंतर–राज्यीय माल ढुलाई में समय की 18–22 प्रतिशत कमी आई है। यह परिणाम व्यापार सुगमता और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता से संबंधित सिद्धांतों के अनुरूप है। लॉजिस्टिक्स लागत में कमी से उत्पादन लागत घटती है, जो दीर्घकाल में निवेश और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देती है। समग्र रूप से, अध्ययन यह दर्शाता है कि जीएसटी ने भारतीय कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, एकीकृत और तकनीक–संचालित बनाया है। यद्यपि एमएसएमई के लिए

अनुपालन संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों का जीएसटी से बाहर होना सुधार की सीमाओं को दर्शाता है, फिर भी जीएसटी ने दीर्घकालिक आर्थिक दक्षता और राजस्व स्थिरता की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार किया है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु एवं सेवा कर ने भारतीय कर प्रणाली में एक गहन संरचनात्मक परिवर्तन स्थापित किया है। जीएसटी के कार्यान्वयन ने अप्रत्यक्ष करों की बहुस्तरीय एवं खंडित व्यवस्था को एकीकृत कर "एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार" की अवधारणा को व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जीएसटी ने कर आधार का उल्लेखनीय विस्तार किया है, जिसके फलस्वरूप कर राजस्व संग्रह में दीर्घकालिक और स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से कोविड–19 महामारी के पश्चात राजस्व में आई तीव्र वृद्धि यह संकेत देती है कि जीएसटी कर प्रशासन में तकनीकी दक्षता और अनुपालन सुधार का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है।

शोध से यह भी सिद्ध होता है कि जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। करदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, PAN–GST एकीकरण तथा डिजिटल रिटर्न प्रणाली ने कर पारदर्शिता को बढ़ाया है। राज्यों के राजस्व वितरण के संदर्भ में, गंतव्य–आधारित कर प्रणाली ने उपभोग करने वाले राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ पहुँचाया है, जिससे सहकारी संघवाद की अवधारणा को सुदृढ़ता मिली है। हालाँकि, अध्ययन यह भी रेखांकित करता है कि जीएसटी के प्रभाव सभी क्षेत्रों में समान नहीं रहे हैं। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को प्रारंभिक वर्षों में अनुपालन लागत, तकनीकी जटिलताओं और कार्यशील पूंजी से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक बेहतर पहुँच और ऋण सुलभता में सुधार ने दीर्घकाल में एमएसएमई के लिए सकारात्मक संभावनाएँ निर्मित की हैं। इस प्रकार, जीएसटी को एक सतत विकसित होती कर व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक पूर्णतः परिपक्व प्रणाली के रूप में।

सुझाव

वर्तमान बहु–स्लैब संरचना को युक्तिसंगत बनाकर कर अनुपालन को सरल किया जाना चाहिए। कम स्लैब प्रणाली से विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यवसायों पर प्रशासनिक बोझ घटेगा। एमएसएमई क्षेत्र के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा स्थिर बनाया जाना आवश्यक है। त्रैमासिक रिटर्न, स्वचालित इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलान और तकनीकी सहायता तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों को जीएसटी के दायरे में लाने से कर प्रणाली की समग्रता बढ़ेगी और विनिर्माण लागत में कमी आएगी, जिससे औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। कर चोरी रोकने और कर उछाल बढ़ाने हेतु उन्नत डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जोखिम–आधारित ऑडिट प्रणाली का और अधिक प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। मुआवजा व्यवस्था की समाप्ति के बाद राज्यों के लिए दीर्घकालिक राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु एक वैकल्पिक संघीय वित्तीय ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। कर अधिकारियों, व्यापारियों और एमएसएमई के लिए निरंतर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि नीति और व्यवहार के बीच की खाई को कम किया जा सके। समग्र रूप से, यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक परिवर्तनकारी सुधार रहा है, जिसने राजस्व दक्षता, औपचारिकीकरण और आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ किया है। यद्यपि कुछ संरचनात्मक और प्रशासनिक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, उपयुक्त नीतिगत सुधारों के माध्यम से जीएसटी को दीर्घकाल में समावेशी और सतत आर्थिक विकास का एक सशक्त साधन बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. नीति आयोग (2021) भारत में जीएसटी एवं सहकारी संघवाद, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (2023) भारत का सांख्यिकीय वर्ष–पुस्तक, नई दिल्ली, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
3. राव, एम. गोविन्द, एवं चक्रवर्ती, पिनाकी (2019) भारत में जीएसटी सुधारः दक्षता, समानता एवं संघवाद, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली।
4. केलकर, विजय. भारत में जीएसटीः अप्रत्यक्ष कर सुधार में एक मील का पत्थर. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली.2019:54(18)12–15।